



No.: F-11(109)/RPCB/Lab/Volume-III/ 4707-4715


Date: 12/12/2022

खुली निविदा सूचना सं. 01/2022-23

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर में प्रयोगशाला के सुचारु संचालन के लिये प्रयोगशाला सामग्री (रसायन) की आपूर्ति करने हेतु प्रतिष्ठित डीलर्स/विक्रेताओं अथवा विपणन एजेंट आपूर्तिकर्ताओं से डबल कवर सिस्टम के अन्तर्गत मुहरबन्द खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

क.सं.	कार्य/सेवा/सामग्री आपूर्ति का नाम	कय किये जाने वाले रसायनों की अनुमानित लागत (रूपये में)	निविदा आवेदन शुल्क (रूपये में)	कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (रूपये में)	खुली निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय
1.	रसायनों की आपूर्ति (वर्ष 2022-2023)	2.00 लाख	500/-	5,000/-	19.12.2022 अपराह्न 03:00 बजे	19.12.2022 अपराह्न 05:00 बजे

बोली प्रपत्र एवं संबंधित दस्तावेज निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रभारी अधिकारी प्रशासन, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4- संस्थानिक क्षेत्र, पर्यावरण मार्ग, झालाना डूंगरी, जयपुर से किसी भी कार्य दिवस को 500/- रूपये नगद जमा करवाकर दिनांक 19.12.2022 को अपराह्न 03:00 बजे तक कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकते हैं या वेबसाईट <http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb> या <http://sppp.raj.nic.in> से भी डाउनलोड किया जा सकते हैं। डाउनलोड किए गए बोली प्रपत्र का निर्धारित शुल्क राशि रूपये 500/- निविदादाता द्वारा पृथक से डिमाण्ड ड्राफ्ट, सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर के नाम से बोली के साथ संलग्न करना होगा। बिना प्रतिभूति राशि एवं निर्धारित प्रपत्र के बोली स्वीकार्य नहीं होगी। बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपापन प्राधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को होगा। निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्तें विभागीय वेबसाईट <http://www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb> or sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है। निविदा से सम्बन्धित अन्य किसी भी जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।


(बी. प्रवीण)
सदस्य सचिव
o/c




No.: F-11(109)/RPCB/Lab/Volume-III/4707-4715

Date: 12/12/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. निजी सचिव, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर को एक क्षेत्रीय दैनिक हिन्दी सामाचार पत्र में प्रकाशित करवाने हेतु।
4. मुख्य लेखाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण-वितरण अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी, (आई.टी. सैल) को भेजकर लेख है कि बिड सूचना एवं बिड शर्तें SPPP पोर्टल एवं मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. कैशियर, रा.प्र.नि.मं., जयपुर को भेजकर लेख है कि बिड प्रपत्र शुल्क राशि मण्डल कोष में जमा करें।
7. नोटिस बोर्ड, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।


शाखा प्रभारी (प्रशासन)
etc



प्रपत्र-1

खुली निविदा तकनीकी बोली प्रपत्र (निविदादाता द्वारा भरा जावे)
केन्द्रिय प्रयोगशाला, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर में उपयोग हेतु
प्रयोगशाला सामग्री क्रय करने के लिये खुली निविदा

खुली निविदा संख्या :-

दिनांक :-

1. जिसे सम्बोधित किया जाना है :-

उपापन प्राधिकारी का नाम	शाखा प्रभारी (प्रशासन), राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर
पता	4- संस्थानिक क्षेत्र, पर्यावरण मार्ग, झालाना डूंगरी, जयपुर
दूरभाष नम्बर	0141-2716877
ई-मेल पता	lab.rpcb@gmail.com
निविदा प्रपत्र शुल्क	जमा रसीद संख्या.....दिनांक..... या डीडी क्रमांक.....दिनांक.....राशिरुपये
निविदा प्रतिभूति राशि	जमा रसीद संख्या.....दिनांक..... या डीडी क्रमांक.....दिनांक.....राशिरुपये

2. फर्म का विवरण :-

फर्म/कम्पनी का नाम	
फर्म/कम्पनी का पूरा पता	
फर्म का पंजीकृत पता	
प्रोपराईटर/अधिकृत व्यक्ति का नाम व पदनाम	
दूरभाष नम्बर/मोबाईल नम्बर	
ई-मेल पता/वेबसाईट पता	
फर्म का प्रकार (पब्लिक लिमिटेड/प्राईवेट लिमिटेड/पार्टनरशिप/प्रोपराईटरशिप)	
जी. एस. टी. नम्बर	
पेन कार्ड नम्बर	
निविदादाता के बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/अधिकृत डीलर अथवा विपणन एजेण्ट होने का प्रमाण पत्र	
फर्म के ब्लेक लिस्टेड नही होने का घोषणा पत्र	



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4-Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302004
E-Mail: member-secretary@rpch.nic.in, Phone: 0141-2711263, 2716802
RSPCB Helpline No.- 0141-2716877

फर्म का कार्य अनुभव— विगत तीन वर्षों का, प्रत्येक वर्ष का एक कय आदेश	
फर्म का टर्न ओवर औसत 15.00 लाख— विगत तीन वर्षों का ITR/Balance Sheet/C.A. Certificate with UDIN No.	

हम/मुझे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर से संबंधित प्रयोगशाला सामग्री की आपूर्ति करने के क्रम की शर्तें स्वीकार्य हैं। मेरे द्वारा दी गई कोई अतिरिक्त शर्त स्वीकार कराने के लिये मैं/हम विभाग को बाध्य नहीं करूंगा/करेंगे एवं विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की अक्षरतः अनुपालना करूंगा। हमें/मुझे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा दी गई निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तें स्वीकार्य हैं।

हस्ताक्षर व मय मोहर

निविदादाता/अधिकृत व्यक्ति का नाम व पता.....



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4-Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302004

E-Mail: member-secretary@rpsch.nic.in, Phone: 0141-2711263, 2716802

RSPCB Helpline No.- 0141-2716877

प्रपत्र-2

रसायनों की आपूर्ति

1. Chemicals of make Merck, Thermo Fischer, Renkem and Loba only: -

S. No.	Particulars	Packing	Qty.	Brand Name with Price (in Rs.)			Discount on MRP	GST	Final Rate (in Rs.)
				Merck	Thermo Fischer	Loba			
1.	Mercuric Chloride AR	250gm	04						
2.	Sulfanilamide AR	500gm	02						
3.	Orthophosphoric Acid AR	2.5 liter	02						
4.	Sodium Arsenate AR	100gm	02						
5.	Sulphuric Acid N/50	500ml	30						
6.	EDTA N/50	500ml	20						
7.	Silver Nitrate N/50	500ml	20						
8.	Mercuric Sulphate AR	250gm	02						
9.	CDTA AR	25gm	01						
10.	Silver Sulphate AR	25gm	02						
11.	Silver Nitrate AR	25gm	01						
12.	Sulphuric Acid concentrate AR	2.5 Ltr.	30						
13.	Nitric Acid concentrate AR	2.5 Ltr.	05						
14.	Sodium Acetate AR	500gm	02						
15.	Barium Chloride AR	500gm	02						
16.	Glycerol AR	500ml	02						
17.	Phenolphthalein Indicator	125ml	02						
18.	Hydrochloric Acid Concentrate	2.5 Ltr.	02						

Note: Packing and quantity may vary as per make and availability.

(Signature of authorized signatory with seal of firm/ company)



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4-Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302004

E-Mail: member-secretary@rspcb.nic.in, Phone: 0141-2711263, 2716802

RSPCB Helpline No.- 0141-2716877

2. NIST Traceable Chemicals of Merck/Sigma Aldrich only: -

S. No.	Particulars	Packing	Qty.	Brand Name with Price (in Rs.)		Discount on MRP	GST	Final Rate (in Rs.)
				Merck	Sigma Aldrich			
1.	Copper as Cu standard 1000 PPM NIST Traceable	100 ml	01					
2.	Cadmium as Cd standard 1000 PPM NIST Traceable	100 ml	01					
3.	CRM for BOD (BOD 500) NIST Traceable	500 ml	01					
4.	CRM Potassium Dichromate NIST Traceable	80 gm	01					

Note: Packing and quantity may vary as per make and availability.

(Signature of authorized signatory with seal of firm/ company)



(फर्म के लैटरपैड पर)

प्रपत्र-3

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गयी सूचना सत्य है। यदि असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरे/मेरी फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है रद्द कर दिया जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर

डाक पता.....

.....

फोन.....

ईमेल यदि हो.....



du

(फर्म के लैटरपैड पर)

प्रपत्र-4

एस आर प्रारूप-11

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन प्रयोगशाला सामग्री (रसायन) के लिये निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्रधिकृत डीलर /डीलर/विपणन एंजेंट हूँ।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर दिया जावे तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर

डाक पता.....

.....

.....

फोन.....

ई मेल यदि हो.....



(फर्म के लैटरपैड पर)

प्रपत्र--5
निविदादाता द्वारा घोषणा

हम/मुझे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर से संबंधित प्रयोगशाला सामग्री (रसायन) की आपूर्ति करने के क्रम की शर्तें स्वीकार्य हैं। मेरे द्वारा दी गई कोई अतिरिक्त शर्त स्वीकार कराने के लिये मैं/हम विभाग को बाध्य नहीं करूंगा/करेंगे एवं विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की कठोरता से अनुपालना करूंगा।

हमें/मुझे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा दी गई निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तें स्वीकार्य हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर

डाक पता.....

.....

फोन.....

ईमेल यदि हो.....



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4-Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302004
E-Mail: member-secretary@rpch.nic.in, Phone: 0141-2711263, 2716802
RSPCB Helpline No.- 0141-2716877

(नोटेरी द्वारा सत्यापित 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

प्रपत्र-6- Declaration related to Blacklisted Firm

मैं/हम पुत्र श्री

.....पदनाम (प्रोपराईट/पार्टनर/अधिकृत प्रतिनिधि).....मैं.

..... (फर्म का नाम)

.....(फर्म का पता).....

..... (घर का पता) यह शपथपूर्वक घोषणा करते हैं हमारी फर्म मैं.

..... को भारत में कहीं भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

दिनांक :-

स्थान :-

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
व फर्म का पता मोहर सहित



प्रपत्र-7

-: खुली निविदा की सामान्य शर्तें एवं नियमावली :-

1. दर्शायी गयी दरें निविदा अनुमोदित होने पर निविदादाता को आदेश की दिनांक से 31 मार्च 2023 तक वैध होगी जो कि दोनो पक्षों की सहमति से निविदा मे वर्णित शर्तों के अध्यक्षीन बढ़ायी जा सकती है।
2. निविदायें केवल बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/अधिकृत डीलर अथवा विपणन एजेंट ही दे सकेंगे। वितरक अधिकृत डीलर अथवा विपणन एजेंट को इस हेतु मूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
3. प्रयोगशाला सामग्री (रसायन) हेतु दरें सलंगन प्रपत्र '2' में अंकित करें तथा अनुसूची प्रपत्र को निविदा के साथ सलंगन करे।
4. निविदाये राजस्थान में जीएसटी अधिनियम/बिक्री कर के अतर्गत पंजीकृत फर्मो द्वारा ही दी जावें, अपंजीकृत फर्मो की निविदायें अस्वीकार्य होगी।
5. निविदादाता जो दरें भरे, उसमें जीएसटी का उल्लेख पृथक रूप से किया जाना आवश्यक है अन्यथा दरें जीएसटी सहित मानी जायेगी। निविदा में अंकित दर के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय नहीं होगा।
6. दरें इस कार्यालय के स्टोर तक एफ.ओ.आर उद्धृत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी अनुषांगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु केन्द्रीय राज्य बिक्री कर/जीएसटी को अलग से दिखाया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के पैकिंग चार्ज, परिवहन भाडें/शुल्क/प्रभारों को भुगतान संस्थान द्वारा नहीं किया जावेगा।
7. आपूर्ति केन्द्रिय प्रयोगशाला, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर में की जायेगी एवं आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के परिवहन के मार्ग में टूट-फूट या कम होने की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी। सामग्री सही हालत में एवं अनुमोदित नमूनों के अनुसार होने पर ही आपूर्ति स्वीकार की जावेगी। निरीक्षण के दौरान प्रयोगशाला सामग्री (रसायन) मानक के अनुरूप व निर्धारित गुणवत्ता का नहीं होने पर उसे विक्रेता की लागत पर बदला जावेगा अन्यथा क्षतिपूर्ति राशि को वसूली जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
व फर्म का पता मोहर सहित



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4-Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302004
E-Mail: member-secretary@rpsc.nic.in, Phone: 0141-2711263, 2716802
RSPCB Helpline No.- 0141-2716877

8. निविदादाता ये सुनिश्चित करेगा कि क्रय की जाने वाली प्रयोगशाला सामग्री (रसायन) की सुपूर्दगी सप्लाई करते समय निर्धारित एक्सपायरी का कम से कम 75 प्रतिशत अथवा एक वर्ष की अवधि में जो भी सप्लाई की गयी वस्तुओं का निरिक्षण कर लिया हो या उन्हे अनुमोदित कर दिया हो, कम से कम निर्धारित एक्सपायरी का कम से कम 75 प्रतिशत अथवा एक वर्ष की अवधि में से जो भी अधिक हो उक्त वस्तुओं को उपरोक्त विवरण गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे एक्सपायर हो गये तो उस संबंध में उपापन अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का निर्णय अंतिम व परिणामी होगा।
9. केन्द्रिय प्रयोगशाला से संबंधित प्रयोगशाला सामग्री (रसायन) की आपूर्ति चाही गई है, वह निविदादाता को उसी मेक/पेकिंग/ब्राण्ड एवं निर्दिष्ट स्पेशिफिकेशन के अनुसार देनी होगी। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अस्वीकार्य होगा। उपापन की गई आपूर्ति आवश्यकता के अनुरूप है, का निर्धारण उपापन अधिकारी/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी/गठित उपापन समिति द्वारा ही किया जावेगा।
10. प्रयोगशाला सामग्री (रसायन) का उपापन किये जाने के उपरांत मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने पर ही बिल का भुगतान किया जा सकेगा। किसी भी विवादास्पद प्रयोगशाला सामग्री (रसायन) के लिये कार्यालयध्यक्ष की सहमति पर 25 प्रतिशत भुगतान काटा जा सकेगा।
11. दर्शायी गई प्रयोगशाला सामग्री (रसायन) की मात्रा अनुमानित है जिसे आवश्यकतानुसार घटाया/बढाया जा सकेगा।
12. प्रयोगशाला सामग्री (रसायन) सही हालात में आदेश के मुताबिक प्राप्त होने पर रेखांकित चैक के माध्यम से भुगतान कर दिया जावेगा, जो संबंधित फर्म के बिल के आधार पर ही देय होगा।
13. प्रयोगशाला सामग्री (रसायन) के उपापन के संबंध में राजस्थान में लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों अथवा राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अतंगत ही प्रयोगशाला सामग्री (रसायन) का उपापन कर सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
व फर्म का पता मोहर सहित



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4-Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302004
E-Mail: member-secretary@rpch.nic.in, Phone: 0141-2711263, 2716802
RSPCB Helpline No.- 0141-2716877

14. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत मानक घोषणा पत्र में उल्लेखित शर्तों अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जब :-
 - अ. निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात् परन्तु निविदा की स्वीकृति से पूर्व निविदा वापस लेता हो या प्रस्ताव को रूपान्तरित कर देता हो।
 - ब. निविदादाता विनिर्दिष्ट समय से अनुबंध नहीं करवाता हो।
 - स. निविदा के आदेश दिये जाने पर भी निर्धारित अवधि में प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाये।
15. निविदादाता द्वारा प्रयोगशालां सामग्री (रसायन) संविदा दरों को अंको में अंकित करना होगा।
16. निविदादाता को निविदा दो भागों में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बोली के रूप में भरकर प्रस्तुत करनी होगी।
 - (अ) एक बोली प्रपत्र तकनीकी बोली का है इसमें वर्णित सभी बिन्दु को भरकर मय दस्तावेजों को एक लिफाफे में जिस पर तकनीकी निविदा अंकित कर लिफाफे पर निविदादाता का नाम मय पता और फोन नम्बर अंकित कर प्रस्तुत करना होगा एवं लिफाफे पर तकनीकी बिड लिखना अनिवार्य होगी।
 - (ब) दूसरा बोली प्रस्तुत वित्तीय बोली से संबन्धित है। जिसमें निविदादाता द्वारा दर संविदा स्वयं भरी जानी चाहिए। दरों में किसी भी प्रकार की काट-छांट या वाईटनर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय बोली से संबंधित समस्त दस्तावेज एक लिफाफे में डालकर सीलबंद कर फर्म का नाम, पता, मोबाईल व वित्तीय बिड अंकित करना होगा।
 - (स) उपरोक्त दोनों लिफाफे तीसरे बड़े लिफाफे में डाल कर जिस पर निविदादाता की फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर तथा निविदा किस कार्य हेतु प्रस्तुत की गई अंकित कर कार्यालय में निर्धारित तिथि व समय पर जमा करवानी होगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
17. तकनीकी निविदा में प्रत्येक कॉलम व चाही गई सूचना भरा होना आवश्यक है तथा दर्शाये गये समस्त दस्तावेज सलंग्न होने चाहिए। सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित होने चाहिए। अपूर्णता की स्थिति में वित्तीय बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
व फर्म का पता मोहर सहित



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4-Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302004
E-Mail: member-secretary@rpsch.nic.in, Phone: 0141-2711263, 2716802
RSPCB Helpline No.- 0141-2716877

18. वर्णित निविदा में बताई गई अनुमानित मात्रा का उपापन किया जावेगा। केन्द्रिय प्रयोगशाला की आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला सामग्री (रसायन) की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है। आदेश मिलने के पश्चात् सामग्री की आपूर्ति आदेश तिथि से 07 दिवस में किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा स्थिति में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं जी.एफ.एण्ड.आर. के अनुसार नियमानुसार विलम्बित शास्ति ली जावेगी।
19. सफल निविदादाता द्वारा निविदा की किन्ही बातों का उल्लंघन करने/सन्तोषजनक आपूर्ति नहीं करने पर निविदा करार को निरस्त किया जावेगा।
20. परिनिर्धारित नुकसान, कम सप्लाई, टूट-फूट हुई वस्तुओं की राशि की वसूली संबंधित फर्म द्वारा दिये गये बिल में से की जावेगी। यदि वसूली संभव नहीं हो तो नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।
21. RTPP Act, 2012 & RTPP Rules, 2013 के अन्तर्गत उल्लेखित समस्त नियम एवं शर्तें इस निविदा अन्तर्गत लागू रहेंगे।
22. सफल निविदादाता अपनी निविदा को या उसके किसी भी भाग को किसी अन्य फर्म/एजेन्सी को नहीं सौपेगा या सबलेट नहीं करेगा।
23. निविदादाता फर्म को अपना आयकर खाता संख्या एवं फर्म का जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
24. निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवरराईटिंग ना करें, यदि हो तो उस पर लघु हस्ताक्षर होने चाहिए। हालांकि निविदा दर में कटिंग/ओवरराईटिंग किसी भी हाल में अस्वीकार्य ही रहेगी।
25. बोली निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार्य है।
26. निविदादाता द्वारा प्रत्येक प्रपत्र में हस्ताक्षर किये हुए होने चाहिये, जो इस बात को दर्शायेंगे कि निविदादाता द्वारा प्रत्येक प्रपत्र को देख-समझ लिया गया है एवं स्वीकार है। समस्त सलंगन बातों का ध्यान पूर्वक पढ लिया गया है तत्पश्चात् ही निविदा भरी गई है, ऐसा सुनिश्चित किया जाना होगा। निविदा प्रपत्र को बॉल पेन से ही भरी जावे एवं निर्धारित समय को कार्यालय में पहुंच जावे। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
व फर्म का पता मोहर सहित



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4-Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302004
E-Mail: member-secretary@rpcb.nic.in, Phone: 0141-2711263, 2716802
RSPCB Helpline No.- 0141-2716877

27. अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यूनतम निविदा स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है। वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन में कीमत ही कसौटी ना होकर संस्थान के हित में सर्वाधिक उपयुक्त बोली का ध्यान रखा जावेगा। किसी भी निविदा अथवा उसमें किसी भी भाग को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपापन अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
28. निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ निविदा के अनुमानित मुल्य की 2% (4000/-रुपये) की राशि का डी0 डी0/बैंकर चैक जो कि सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर के नाम संलग्न करना अनिवार्य है, बिना निविदा प्रतिभूति के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
29. निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदादाता को कुल स्वीकृत निविदा राशि की 2.5% कार्य सम्पादन प्रतिभूति का डी0 डी0/बैंकर चैक जो कि सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर के नाम का देय हो निर्धारित प्रारूप में जमा करवाना होगा। जिसको पुनः लौटाये जाने पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
30. विलम्ब से प्राप्त तथा अपूर्णता की स्थिति में प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
31. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदादाता को 500/- रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार करार/अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध/स्टाम्प आदि का खर्चो निविदादाता द्वारा संदत्त किया जावेगा। अनुबंध की प्रतिलिपि निविदादाता को दी जावेगी।
32. निविदायें खोले जाने के तीन माह तक की अवधि हेतु विधि मान्य रहेगी।
33. निविदा के संबंधित समस्त अधिकार उपापन अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के पास सुरक्षित है। विधिक कार्यवाही यदि संस्थित की जानी आवश्यक हो अथवा विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्र जयपुर ही होगा।

उपापन अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
व फर्म का पता मोहर सहित



Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- (c) Not indulge in any collusion, bid rigging or anti- competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidder's with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest: -

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. Have controlling partners/shareholders in common; or
- b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. Have the same legal representative for the purposes of the Bid; or
- d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or Influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process:
or
- e. The Bidder participates in more than on Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid in result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature & Seal of the Bidder



Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications Declaration by the Bidder

In relation to our Bid submitted to the Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur for supplying chemicals in response to their Notice Inviting Bids No. Dated we hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

- 1) I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- 2) I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government of the State Government or any authority, as specified in the Bidding Document.
- 3) I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- 4) I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of and criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- 5) I/We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature & Seal of the bidder:
Name:
Designation:
Address:



Appendix C: Grievance Handling Procedure during Procurement Process
(Appeals)

The designation and address of the first Appellate Authority is Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is Chairperson, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur

1. Filing an appeal

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to the First Appellate Authority as specified in the bidding document, within a period of 10 days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: providing further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- 1- The officer to whom an appeal is filed under para (a) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within a period of 30 days of the date filling of the appeal.
- 2- If the officer designated under para (a) fails to dispose of the appeal within the period specified in para (B) or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the specified in para (b) or date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

2. Appeal not be lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely: -

- a) Determination of need of procurement;
- b) Provision limiting participation of Bidders in the bidding process;
- c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- d) Cancellation of a procurement process;
- e) Applicability of the provision of confidentiality.

3. From and procedure of filing an appeal

- a. An appeal under para (1) or (3) shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents the appeal.



Rajasthan State Pollution Control Board
Headquarter, 4-Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302004
E-Mail: member-secretary@rspcb.nic.in, Phone: 0141-2711263, 2716802
RSPCB Helpline No.- 0141-2716877

- b. Every appeal shall be accompanied by and order appealed against, if any, verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
 - c. Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.
- 4. Fee for filing appeal**
- a. Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
 - b. The fee shall be paid in the form of bank, demand draft or banker's Cheque of a scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
- 5. Procedure for disposal of appeals**
- 1- The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case *may be*, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
 - 2- On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall, -
 - (a) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (b) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to, the matter.
 - 3- After hearing the parties, peruse or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
 - 4- The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature & Seal of Bidder



du

Rajasthan State Pollution Control Board
Headquarter, 4-Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302004
E-Mail: member-secretary@rspcb.nic.in, Phone: 0141-2711263, 2716802
RSPCB Helpline No.- 0141-2716877

FORM No.1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before

the.....

(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant;
 - a) Name of the appellant:
 - b) Official address, if any:
 - c) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s);
 - i.
 - ii.
 - iii.
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved;
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: (Supported by an affidavit)
7. Prayer.....

Place.....

Date.....

Appellant's Signature



Annexure D: Additional Conditions of Contract

3. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- 1- If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- 2- If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- 3- If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures, shall prevail subject to 1 and 2 above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid security shall be forfeited or its Bid security Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- 1- At the time of award of contract, the quantity of good, work or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.
- 2- If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Condition of contract.
- 3- In case of procurement of good or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rate and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fail to do



[Handwritten Signature]

Rajasthan State Pollution Control Board
Headquarter, 4-Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302004
E-Mail: member-secretary@rspcb.nic.in, Phone: 0141-2711263, 2716802
RSPCB Helpline No.- 0141-2716877

so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (in case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured front the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantities of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such case, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid it accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature & Seal of Bidder